भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5586

दिनांक 30.04.2013/ 10 वैशाख, 1935 (शक) को उत्तर के लिए

बोडो भाषा को राज्य की राजभाषा के रुप में मान्यता

†5586 श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि बोडो भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के बावजूद असम सरकार द्वारा इसे संविधान के अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अनुसार असम राज्य की एक राजभाषा के रुप में न तो मान्यता ही प्रदान की गई है, न ही इसे लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में असम राज्य सरकार को क्या निदेश जारी किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

(क) से (ग) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य की विधान सभा, उस राज्य में सभी अथवा किसी एक शासकीय उद्देश्य से प्रयोग के लिए, भाषा अथवा भाषाओं के रुप में राज्य में प्रयोग की जा रही भाषाओं में से किसी एक अथवा अधिक को वैधानिक माध्यम से अपना सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अधीन किसी भाषा को शामिल किए जाने के आधार पर ही उस भाषा को उस राज्य की राजभाषा घोषित किए जाने की पात्रता नहीं मिल जाती है।